प्रेस नोट दिनांक-26.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री धनन्जय राय तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 441/2014 धारा 394/411 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट के वारण्टी अभियुक्त जानकी शरण उर्फ प्रेम पुत्र मुन्ना गर्ग निवासी बदरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना भरतकूप
2. आरक्षी अभिनव तिवारी

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के के निर्देशन में अपहृतों/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में वरि0उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्रा थाना बरगढ़ द्वारा बुद्धि-विवेक का परिचय देते हुये मानसिक रुप से विक्षिप्त महिला श्रीमती गीता को सी-प्लान एप का प्रयोग करते हुये उसके ग्राम प्रधान के माध्यम से परिजनों से सम्पर्क कर परिजनों को थाना बरगढ़ बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया।

दिनांक 25.02.2021 को एडवोकेट श्री राकेश कुमार निवासी ग्राम नेवादा मौजा गुइया थाना बरगढ़ ने सूचना दिया कि एक महिला उम्र लगभग 30 वर्ष जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, काफी पूछने पर उसने अपना नाम गीता पत्नी रामपाल निवासी ग्राम जंगल टिकारी थाना अमेठी जनपद अमेठी तथा पिता का नाम रामबरन पाल निवासी जंगल रामनगर थाना अमेठी जनपद अमेठी बता रही है है, मानसिक संतुलन ठीक ना होने के कारण भटक कर मौर्या चौराहा सिमरा में चली आई है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये वरि0उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचते तथा बुद्धि विवेक का परिचय देते हुये सी-प्लान के जरिए थाना अमेठी के जंगल रामनगर गांव के ग्राम प्रधान श्री जगदीश प्रसाद से बातचीत की गई उनके द्वारा श्री रामबरन पाल के बारे में पता कराया गया और दूरभाष के जरिए श्री रामबरन से संपर्क कर उन्हें श्रीमती गीता को ले जाने के लिए कहा गया। ग्राम प्रधान तथा श्रीमती गीता के परिजनों के द्वारा दिनाँक 26.02.2021 को आकर गीता को ले जाने का आश्वासन दिया गया।

आज दिनाँक 26.02.2021 को श्रीमती गीता की भाभी श्रीमती सुमित्रा पाल पत्नी रमाशंकर पाल निवासी ग्राम पूरे गणेश जंगल रामनगर के सुपुर्द किया गया। श्रीमती गीता के पाकर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आयी और उन्होनें बताया कि श्रीमती गीता को मानसिक संतुलन ठीन नहीं रहता है, 15 दिन पहले ये भटक गयी थी जिन्हे काफी खोजा गया। परिजनों ने पुलिस द्वारा किये गये इस कार्य के लिये उनकी प्रशंसा एवं धन्यवाद दिया गया।

बरामद एवं सुपुर्गदी करने वाली टीम

1. वरि0उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्रा थाना बरगढ़
2. आरक्षी नरसिंह राव
3. महिला आरक्षी रीना यादव

(3). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2037 थाना पहाड़ी अंतर्गत दिनाँक 25/02/2021 को समय 13:25 बजे इवेंट संख्या 5084 द्वारा घटनास्थल ममसी बुजुर्ग थाना पहाड़ी से कॉलर ललित कुमार (मोबाइल नंबर 9569466783) द्वारा सूचना दी गयी कि उनके खेत में एक बच्ची मिली है कॉलर के अनुसार 1-2 दिन की बच्ची है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को कॉलर ने बताया कि एक नवजात बच्ची को कोई खेत में छोड़ गया है। पीआरवी कर्मियों ने तत्काल इस संबंध में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को बताया तो चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा बताया गया कि हमारी टीम chc पहाड़ी में है बच्ची को लेकर chc पहाड़ी आ जाये। पीआरवी कर्मियों ने नवजात बच्ची को सकुशल चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को सुपुर्द किया गया।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर - hc कौशल किशोर

सब कमांडर - c वीरपाल

पायलट - hg मइयादीन

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 26.02.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर स्थित कोचिंग सेंटरों में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा पटेल तिराहा, ट्राफिक चौराहा एवं सीआईसी इण्टर कालेज में, एण्टी रोमियों टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम बरगढ़ परानु बाब मंदिर व बरगढ़ मोड़ में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया । एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा एवं पैरोकार आरक्षी धनेश कुमार द्विवेदी द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी सुशील सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश श्री दीपनारायण तिवारी चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 234/15 धारा 307/34 भादवि0 के नामित अभियुक्त रामबाबू पुत्र बलीराम एवं बच्चा उर्फ विपिन कुमार पुत्र रामबाबू निवासीगण कौबरा थाना रैपुरा चित्रकूट को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/-5000/- रुपये के अर्थदण्ड से एवं रामबाबू को धारा 25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष के कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी रामबाबू की दोनों सजायें साथ –साथ चलेंगी।

दिनाँक-04.10.2015 को वादी लवलेश निवासी कौबरा पर उपरोक्त आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से फायर किया गया था जिस पर वादी की तहरीर पर मु0अ0सं0 234/15 धारा 307/34 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान तथा आरोपी रामबाबू उपरोक्त के कब्ज से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया था।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार मिश्र अपर सत्र न्यायालय रेप एवं पोक्सो चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 84/18 धारा 354क/376(2)/323/506 भादवि0 व 04/08 पोक्सो एक्ट के नामित अभियुक्त ओमनारायण शुक्ला पुत्र राजनरायण शुक्ला निवासी ग्राम सरैया थाना मानिकपुर हाल पता शुक्ला कम्पाउण्ड पंजाब नेशन बैंक के सामने इलाहाबाद रोड कर्वी चित्रकूट को आजीवन कारावास एवं 1,05000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यह मुकदमा पैरवी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को चिन्हित किया गया था।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी

कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री गोपालदास प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप अपर सत्र न्यायालय एफ.टी.सी. चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 671/16 धारा 302 भादवि0 के नामित अभियुक्त राममिलन उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामदेव 2. रामदेव पुत्र विशाली 3. किशनिया पत्नी रामदेव निवासीगण जोगियन पुरवा मजरा रसिन थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को आजीवन कारावास एवं 10000-10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनाँक 18.07.2016 को उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वादी श्री बाबू पुत्र भूरा रैदास निवासी जमालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा की पुत्री सुशीला को प्रताडित कर आग से जलाकर हत्या कर दी गयी थी।